

लोहिडी 05/06/2018

प्रपत्र:-8

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, लोहिडी


प्रकरण सं.:- 79/2018

दिनांक:- 5.6.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1261


आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी भूका गगतसिंह व भू.अ.नि. भूका गगतसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम लोहिडी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में खाता संख्या 26,18 में वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि सोमा पुत्र दोला के स्थान पर सोमा उर्फ ओमाराम पुत्र दोलाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 5.6.18

क्रमांक लो.अदा./2018/1262-64
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरगमद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सोमा उर्फ ओमाराम पुत्र दोलाराम निवासी लोहिडी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी